संख्या-119/सत्तर-2-2014-2(179)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊः दिनांक 22 मई, 2014

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सम्बद्धता/3579, दिनांक 07.02.2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा एस्ट्रान कालेज ऑफ एजूकेशन मेरठ को बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या-1564/सत्तर-2-2013-2(179)/2013 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 द्वारा दी गयी स्थायी सम्बद्धता के स्थान पर बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता दिये जाने हेतु संशोधित आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-3(2) के परन्तुक के अधीन एस्ट्रान कालेज ऑफ एजूकेशन मेरठ को शासनादेश संख्या-1564/सत्तर-2-2013-2(179)/2013 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 द्वारा बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में दी गयी स्थायी सम्बद्धता में संशोधन करते हुए उसके स्थान पर बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2013 से स्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः-

(i) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के साथ महाविद्यालयों द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।

(ii) महाविद्यालयों को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है तो, सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(iii) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-3(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" इस व्यवस्था का अनुपालन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(iv) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:-

37(6)-कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।

37(7)-कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे। उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(v) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा करा ली गयी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

(vi) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा रजिस्ट्रार इस बात का भली-भाँति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों पर पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुई है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(vii) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(viii) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।

संख्या- 119(1)/सत्तर-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
(3) सचिव/प्रबन्धक, एस्ट्रान कालेज ऑफ एजूकेशन मेरठ।
(5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेवसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(6) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनीता सिंह), उ0प्र0शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner